फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 20.09.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अगस्त, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ अगस्त, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का अगस्त, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर संसद के दोनों सदनों और दूसरी ओर सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है।

संसद का मानसून सत्र, 2021, जो सोमवार, 19 जुलाई, 2021 से आरंभ हुआ था, बुधवार, 11 अगस्त, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। सत्र के दौरान 24 दिनों की अवधि में कुल 17 बैठकें हुई।

सत्र मूल रूप से 13 अगस्त, 2021 तक बैठने के लिए निर्धारित था परंतु सदनों में निरंतर व्यवधान और अत्यावश्यक सरकारी कार्य के पूरा हो जाने के कारण इसे छोटा कर दिया गया।

मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए चार अध्यादेशों अर्थात अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 और आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 के प्रतिस्थापक विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।

अगस्त, 2021 के दौरान 7 विधेयक (6 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए, लोक सभा द्वारा 13 विधेयक पारित किए गए, राज्य सभा द्वारा 15 विधेयक पारित किए गए और संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 विधेयक पारित किए गए जिनमें वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक शामिल हैं जिन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया और राज्य सभा को भेजा गया। इन दोनों विधेयकों को राज्य सभा में इनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि समाप्त होने पर संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया हुआ माना गया।

मानसून सत्र, 2021 की समाप्ति के पश्चात, 12 अगस्त, 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

संसदीय कार्य का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

2. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से जुलाई, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96850 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56960 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1645 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 822 आश्वासन लंबित हैं।

अगस्त, 2021 मास के दौरान, 110 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 102 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए। इसके अलावा, 229 कार्यान्वयन प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर और 116 (11 आंशिक) कार्यान्वयन प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे गए।

3. लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

अगस्त, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 अगस्त को लंबित मामले	290	210
माह के दौरान उठाए गए मामले	170	3
अगस्त माह के दौरान प्राप्त उत्तर	57	15
शेष मामले	403	198

4. परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

जुलाई, 2021 के दौरान –
(क) परामर्शदात्री समितियों की दस बैठकें आयोजित की गई।
(ख) आठ संसद सदस्यों को सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/बोर्डों/आयोगों में नामित किया गया।

उपरेक्त से संबंधित विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

5. डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

अगस्त, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 1896 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

6. युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना

अगस्त, 2021 मास के दौरान
(क) राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 235 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 45 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

7. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के

आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

अगस्त, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वियन हेतु समझौता ज्ञापन पर 17 राज्यों (18 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 11 राज्यों (12 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और हरियाणा शामिल हैं जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

अगस्त, 2021 मास के दौरान -

(i) कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के लिए 4-6 अगस्त, 2021 को आभासी माध्यम से एक तीन दिवसीय प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। बैठक में कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स के बारे में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उनकी शंकाओं का निवारण करना भी शामिल था।

(ii) लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए 17-19 अगस्त, 2021 को एक तीन दिवसीय प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। यह कार्यक्रम नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स के प्रदर्शन और इस बात पर केंद्रित था कि लोक सभा संसद के डिजिटलीकरण के लिए नेवा सॉफ्टवेयर को कैसे अपना सकता है। लोक सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों ने साफ्टवेयर की सराहना की और लोक सभा में नेवा के कार्यान्वयन हेतु सुझाव दिए।

(iii) राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए 23-26 अगस्त, 2021 को एक चार दिवसीय प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, राज्य सभा में नेवा के कार्यान्वयन हेतु नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स का प्रदर्शन किया गया और राज्य सभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों ने राज्य सभा में नेवा साफ्टवेयर को अपनाने के लिए इसमें और संशोधनों के संबंध में सुझाव दिए।

(iv) हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में नेवा को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा को सक्षम करने के लिए नेवा सॉफ्टवेयर में माइग्रेशन के संबंध में उनके प्रश्नों/चिंताओं का समाधान किया गया।

8. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1780 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 5911 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 38560 हो गई है।

*****

अनुबंध-I

17वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 254वें सत्र के दौरान निष्पादित विधायी कार्य (अगस्त, 2021)

I – लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
2. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
3. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
4. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
5. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
6. संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021

II – राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

III – लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
2. आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
3. अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021
5. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
6. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
7. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
8. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
9. निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
11. संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
12. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
13. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

IV – राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021
2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
3. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
4. निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
5. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
6. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021
8. आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
9. अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
10. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
11. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
12. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
13. संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
14. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
15. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

V - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
3. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
4. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021
6. आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
7. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
8. निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
9. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
10. अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
11. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
12. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
13. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
14. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
15. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
16. संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
17. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021
18. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021

VI. लोक सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021

अनुबंध-II

अगस्त, 2021 के दौरान आयोजित विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	इस्पात	उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
2	सोमवार, 9 अगस्त, 2021 को सांय 6.30 बजे	आवासन एवं शहरी विकास	सभी के लिए आवास	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
3	सोमवार, 9 अगस्त, 2021 को सांय 6.00 बजे	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
4	मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे	जल शक्ति	जल शक्ति अभियान	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
5	मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 को सांय 6.15 बजे	भारी उद्योग	इलेक्ट्रिक वाहनों बढ़ावा देना	समिति कक्ष 'डी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
6	बुधवार, 11 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 9.00 बजे	जनजातीय कार्य	(i) अनुसूचित जनजाति घटक सहित जनजातीय समुदायों के कल्याणार्थ भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम। (ii) जनजातीय समुदायों में सीकल सैल बिमारी निपटने में की गई प्रगति।	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
7	गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 को सांय 6.30 बजे	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	नशा मुक्ति भारत अभियान	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
8	गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 को सांय 6.30 बजे	गृह	साइबर अपराध के खतरे, चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया **स्थगित**	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली
9	गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 को सांय 6.00 बजे	वस्त्र	बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूची प्राप्त नहीं हुई थी। **स्थगित**	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
10	गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 को सांय 7.00 बजे	महिला और बाल विकास	मिशन वात्सल्य **स्थगित**	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
11	शुक्रवार, 13 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
12	सोमवार, 23 अगस्त, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे	विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊजा	डिस्कॉम की व्यवहार्यता बहाल करने में एसईआरसी और राज्य सरकारों की भूमिका	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
13	शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे	नागर विमानन	ड्रोन उद्योग का विकास	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली

अगस्त, 2021 मास के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में नामित किए गए संसद सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित किया गया	अभ्युक्तियां
1	श्री बाबुल सुप्रियों, संसद सदस्य	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	सदस्य

	(लोक सभा)	मंत्रालय	
2	श्री संजय श्यामराव धोत्रे, संसद सदस्य (लोक सभा)	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
3	श्री रतनलाल कटारिया, संसद सदस्य (लोक सभा)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सदस्य
4	श्री प्रताप चन्द्र सारंगी, संसद सदस्य (लोक सभा)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सदस्य
5	सुश्री देबाश्री चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
6	श्रीमती मंगल सुरेश अंगडि, संसद सदस्य (लोक सभा)	महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
7	डा. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी, संसद सदस्य (लोक सभा)	विदेश मंत्रालय	सदस्य
8	श्री सुनील कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य